

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व, आवेदन संख्या - 88/2025

उनवान

1. अमराराम पुत्र उमाराम जाति जाट
निवासी लखवारा तहसील चोहटन,
जिला बाडमेर।

बनाम

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 07.03.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्री अमराराम पुत्र, उमाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चोहटन, जिला बाडमेर। का खातेदारी खेत खाता नंबर नया 45 खसरा नंबर क्रमशः 27, 29 रकबा क्रमशः 11.9787, 10.3680 हेक्टैयर मौजा लावराउ पटवार मण्डल सियाणी में आये हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्री, अमराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चोहटन, जिला बाडमेर की जगह अमरिया पुत्र उमा जाति जाट भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम श्री अमराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चोहटन, जिला बाडमेर। करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खातेदारी खेत खाता नंबर नया 45 खसरा नंबर क्रमशः 27, 29 रकबा क्रमशः 11.9787, 10.3680 हेक्टैयर मौजा लावराउ पटवार मण्डल सियाणी के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्री अमराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी लखवारा तहसील चोहटन, जिला बाडमेर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।



क्रमांक : रीडर / 2025 / 185-86

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी श्री अमराराम पुत्र उमाराम।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

दिनांक 07.03.2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर